

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2753
उत्तर देने की तारीख-12/08/2026

शिक्षकों की कमी

2753 श्री मुकुल वासनिक:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) उच्च शैक्षणिक संस्थानों, राज्य सरकार के विद्यालयों तथा देश भर के प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों सहित केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र-वार शिक्षकों के कुल कितने पद रिक्त हैं;
- (ख) इस कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कौन-से विशिष्ट उपचारात्मक कदम और नीतिगत हस्तक्षेप कार्यान्वित किए गए हैं;
- (ग) क्या सरकार ने सभी शैक्षणिक संस्थानों में एक मानक छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) प्राप्त करने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित की है; और
- (घ) इस अवधि के दौरान समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत विशेष रूप से शिक्षकों की भर्ती और प्रशिक्षण के लिए राज्यों को कुल कितनी वित्तीय सहायता जारी की गई?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में एक विषय होने के कारण, देश के अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। तदनुसार, स्कूल शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और तैनाती संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आती हैं। राज्य-वार ब्यौरे सहित सरकारी स्कूलों में संस्वीकृत शिक्षण पदों और रिक्त शिक्षण पदों से संबंधित आंकड़े संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा रखे जाते हैं।

यूडाइज+ 2025-26 के अनुसार, देश भर के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक-1 में रखा गया है।

केन्द्र सरकार अपनी ओर से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर सलाह देती है कि वे स्वायत्त शिक्षक भर्ती बोर्डों अथवा इसी प्रकार के संगठनों के माध्यम से पारदर्शी और योग्यता आधारित भर्ती प्रक्रियाओं के माध्यम से शिक्षकों के रिक्त पदों को भरें। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रतिस्पर्धी चयन के माध्यम से शिक्षकों की रिक्तियों को भरने के संबंध में प्रगति की समय-समय पर स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समीक्षा की जाती है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार, समग्र शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर यथा संशोधित निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों के अनुसार स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर उपयुक्त छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) बनाए रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 में सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित छात्रों की बड़ी संख्या वाले क्षेत्रों में प्रत्येक स्कूल में 30:1 से कम और 25:1 से कम छात्र-शिक्षक अनुपात बनाए रखने पर बल दिया गया है। यूडाइज+ 2025-26 रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर पीटीआर प्राथमिक स्तर पर 19, उच्च प्राथमिक स्तर पर 17, माध्यमिक स्तर पर 15 और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 23 है, जो एनईपी 2020 के तहत परिकल्पित मानदंडों के भीतर है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केविसं), नवोदय विद्यालय समिति (नविसं) जो क्रमशः केन्द्रीय विद्यालयों (केवि) और नवोदय विद्यालयों (नवि) का प्रबंधन करते हैं और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों (सीयू) और केन्द्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों (सीएफटीआई) सहित शिक्षा मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थाएं (सीएचआईआई) स्वायत्त संगठन हैं। स्वायत्त संस्थानों के रूप में, संकाय भर्ती संस्थानों के भीतर ही उनके भर्ती नियमों और विनियमों के अनुसार की जाती है। भर्ती शक्तियां संबंधित बोर्ड ऑफ गवर्नर्स/कार्यकारी समिति/प्रबंधन बोर्ड के पास निहित हैं।

पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्यु, नई संस्थाओं, योजनाओं या परियोजनाओं के खुलने और छात्रों की संख्या में वृद्धि और मौजूदा संस्थानों में क्षमता के विस्तार के कारण अतिरिक्त आवश्यकताओं के कारण रिक्तियां उत्पन्न होती रहती हैं। रिक्तियों को भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है और संबंधित भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार रिक्तियों को भरने के प्रयास किए जाते हैं।

केविसं से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सितंबर, 2022 से जुलाई, 2025 तक मिशन भर्ती के दौरान सीधी भर्ती के माध्यम से शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के विभिन्न पदों के लिए नियुक्तियों के 12867 प्रस्ताव जारी किए गए थे। इसके अलावा, नविसं से प्राप्त जानकारी के

अनुसार, वर्ष 2022-23 से दिसंबर, 2025 तक सीधी भर्ती के माध्यम से शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के 2341 विभिन्न पदों पर भर्ती की गई है।

उपरोक्त के अलावा, देश भर में केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में सीधी भर्ती के लिए नवंबर, 2025 में केविसं के संबंध में कुल 8714 शिक्षण रिक्तियों और नविसं के संबंध में 5045 शिक्षण रिक्तियों को अधिसूचित किया गया है। टियर- I और टियर- II परीक्षा क्रमशः जनवरी, 2026 और मार्च, 2026 में आयोजित की गई हैं।

अगस्त, 2021 में, शिक्षा मंत्रालय के तहत सभी सीएचआई से अनुरोध किया गया था कि वे अपने संस्थानों में बैकलॉग रिक्तियों को मिशन मोड में भरने के लिए विशेष अभियान चलाएं। सीएचआई ने अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) सहित रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया। सितंबर 2022 में, शिक्षा मंत्रालय ने भी सभी सीएचआई को मिशन मोड में रिक्तियों को भरने के लिए प्रोत्साहित किया था। अक्टूबर 2025 में, सभी सीएचआई से फिर से मिशन मोड में सभी बैकलॉग रिक्तियों को भरने का अनुरोध किया गया है। सितंबर 2022 से, सीयू, आईआईटी और एनआईटी सहित सभी सीएचआई ने रिक्तियों को भरने के लिए मिशन मोड भर्ती अभियान शुरू किया है। दिनांक 23.05.2026 (अर्थात् पिछले रोजगार मेले की तारीख) तक, मिशन मोड में 18757 संकाय पदों सहित सभी सीएचआई द्वारा कुल 32114 पदों को भरा गया है।

केन्द्रीय वित्तपोषित उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में गुणवत्तायुक्त संकायों को आकर्षित करने के लिए उपाय किए गए हैं जिनमें वर्ष भर खुले विज्ञापन, खोज-सह-चयन प्रक्रियाओं के माध्यम से भर्ती, विशेष भर्ती अभियान, मिशन मोड में भर्ती और पूर्व छात्रों/वैज्ञानिकों/संकाय को आमंत्रित करना आदि शामिल हैं। सीएचआई द्वारा बहु-चरणीय और मजबूत स्क्रीनिंग प्रक्रिया के भाग के रूप में पारदर्शी तरीके से आवेदन आमंत्रित करके संकाय भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाती है। विभिन्न संस्थानों के अधिनियम और कानून चयन समितियों की संरचना, संकाय के विभिन्न स्तरों की भर्ती के लिए जिम्मेदार प्राधिकरणों, स्वतंत्र विषय विशेषज्ञों और विजिटर नॉमिनी आदि के प्रावधान को निर्दिष्ट करते हैं ताकि भर्तियों में पारदर्शिता और अकादमिक कठोरता सुनिश्चित की जा सके। यूजीसी ने संकाय भर्ती के लिए एक सामान्य पोर्टल 'सीयू-चयन' लॉन्च किया है, जो सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्तियों/विज्ञापनों/नौकरियों को सूचीबद्ध करने का प्रावधान करता है, इस प्रकार पूरी भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाता है।

इसके अलावा, समग्र शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत पात्र राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) के आधार पर योजना के कार्यक्रम संबंधी और वित्तीय मानदंडों के अनुसार शिक्षक शिक्षा हस्तक्षेपों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसमें राज्य शैक्षिक

अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों (एससीईआरटी) और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (डीआईईटी) सहित अध्यापक शिक्षा संस्थाओं के सुदृढीकरण के लिए सहायता और शिक्षकों, स्कूल प्रमुखों, शिक्षक प्रशिक्षकों, संसाधन व्यक्तियों, मास्टर प्रशिक्षकों और नए भर्ती किए गए शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए सहायता शामिल है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता अलग-अलग कार्यकलापों के आधार पर नहीं बल्कि प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और अध्यापक शिक्षा के आधार पर जारी की जाती है। तदनुसार, शिक्षक वेतन अथवा शिक्षक प्रशिक्षण के लिए विशेष रूप से निर्धारित केन्द्रीय विज्ञप्तियों का रख-रखाव नहीं किया जाता है।

पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए वित्तीय स्वीकृतियां वर्ष 2024-25 में 63,943.50 लाख रुपये, वर्ष 2025-26 में 72,456.26 लाख रुपये और वर्ष 2026-27 में 41,610.07 लाख रुपये हैं। (स्रोत: प्रबंध पोर्टल)

“शिक्षकों की कमी” के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री मुकुल वासनिक द्वारा दिनांक 12.08.2026 को पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 2753 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षक (2025-26)

राज्य	सरकारी स्कूलों में कुल शिक्षक 2025-26			
	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक	उच्च माध्यमिक
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	877	799	893	2189
आंध्र प्रदेश	74616	7254	87545	31710
अरुणाचल प्रदेश	3001	6576	3123	3588
असम	95731	40479	40954	39552
बिहार	164481	242606	635	128339
चंडीगढ़	43	284	2270	2921
छत्तीसगढ़	74645	53452	10282	47760
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	546	1656	271	791
दिल्ली	18287	319	2343	62435
गोवा	1997	321	999	488
गुजरात	27386	153108	3747	10438
हरियाणा	32256	10378	7120	51215
हिमाचल प्रदेश	19080	5243	7270	34674
जम्मू और कश्मीर	18748	38988	17578	16255
झारखंड	35945	45188	16322	18917
कर्नाटक	34830	95197	43325	20292
केरल	16294	15626	6447	44234
लद्दाख	734	2426	1054	1075
लक्षद्वीप	179	192		358
मध्य प्रदेश	128006	122807	43375	105782
महाराष्ट्र	91352	108297	15092	8946
मणिपुर	6615	2944	3896	3515
मेघालय	9964	7587	1054	1692
मिजोरम	5378	5560	2148	1153
नागालैंड	5791	5968	4231	2205
ओडिशा	60916	78991	58487	14771
पुदुचेरी	1513	551	1064	1831
पंजाब	51471	8217	17558	45567
राजस्थान	63341	116481	966	260282
सिक्किम	2038	2220	2485	4190
तमिलनाडु	56778	47102	29931	87640
तेलंगाना	43867	14336	60283	37692
त्रिपुरा	4862	5840	5926	10253
उत्तर प्रदेश	340103	259477	7025	20519
उत्तराखंड	22738	7270	5810	23583
पश्चिम बंगाल	239882	18261	27315	162655
भारत	1754291	1532001	538824	1309507